

जिसमें से 0.2680 हैक्टेयर भूमि पूर्व में द्वितीय पक्ष को विक्रय की जा चुकी है तथा शेष 0.0100 हैक्टेयर भूमि (जीरो दशमलव जीरो एक जीरो जीरो हैक्टेयर भूमि) का पूरक विलेख बावत विक्रय विलेख द्वितीय पक्ष क्रेता के पक्ष में निष्पादित किया जा रहा है तथा स्टाम्प रजिस्ट्री के मौजूदा कानूनों के अनुसार अदा किया जा रहा है। अतः उपरोक्त वर्णित भूमि को उससे सम्बन्धित समस्त अधिकार, स्वामित्व एवं अधिपत्य आदि सहित, बिना छोड़े हुए किसी स्वामित्व एवं अधिकार के चाहे उनका वर्णन इस विक्रय विलेख में किया गया हो अथवा न किया गया हो, स्थिर मस्तिष्क एवं स्वस्थ इन्द्रियों की दशा में अंकन: अंकन: 2,06,310/-रूपये (दो लाख छः हजार तीन सौ दस रूपये) कि जिसके आधे अंकन: 1,03,155/-रूपये (एक लाख तीन हजार एक सौ पचपन रूपये) होते हैं, विक्रय मूल्य के उपलक्ष्य में हस्ते हरमन प्रोपर्टीज लि० (HERMAN PROPERTIES LTD , Regd Office WZ-48, West Patel Nagar, Khampur, New Delhi) द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि श्री हरीश चन्दा पुत्र स्वर्गीय श्री दौलतराम निवासी के.डी.-93 पीतमपुरा, देहली द्वितीय पक्ष क्रेता को विक्रय कर दिया और बेच डाला और समस्त विक्रय मूल्य प्रथम पक्ष विक्रेता ने द्वितीय पक्ष क्रेता से निम्न प्रकार प्राप्त करके विक्रीत भूमि को अपने अधिकार, स्वामित्व एवं अधिपत्य आदि से निकालकर द्वितीय पक्ष क्रेता के अधिकार, स्वामित्व एवं अधिपत्य आदि में देकर उनको व्यक्तिगत स्वामी एवं वास्तविक अधिकारी बन दिया। अब प्रथम पक्ष का कोई स्वामित्व या अधिकार विक्रीत भूमि से सम्बन्धित भविष्य के लिये शेष नहीं रहा और ना ही होगा। वास्तविक परिवर्तन कार्यान्वित हुआ। यह विक्रय पूर्णतया उचित एवं वैधानिक है तथा प्रयोग होने योग्य है। कब्जा पूर्व से द्वितीय पक्ष क्रेता के पास मौजूद है तथा द्वितीय पक्ष क्रेता उपरोक्त भूमि को अपने कृषि कार्य हेतु प्रयोग में ला रहे है तथा यह पूरक विलेख विक्रय विलेख दिनांक 23/04.2010 ई० का पार्ट एण्ड पार्सल माना जायेगा। कोई आपत्ति नहीं होगी। द्वितीय पक्ष अपना नाम राजस्व अभिलेखों में अंकित करा लेने के अधिकारी रहेंगे, यदि इस हेतु प्रथम पक्ष की सहमति प्रस्तुत करने अथवा विलेख लिखने की आवश्यकता होगी तो उसको प्रथम पक्ष

Harinderpal Singh

Z